Reads
12/7

2017/00169 न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी महोदय
A.C. SHAHPURA

114/2013 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

राजस्व वाद संख्या :– 35 /2017 2017/00298

1. आलोक जोशी पुत्र श्री अशोक कुमार जोशी, उम्र –29 वर्ष
2. मनोज कुमार जोशी पुत्र श्री अशोक कुमार जोशी उम्र –25 वर्ष
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी शुक्लो का मौहल्ला मनोहरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0) – वादीगण

बनाम

1. राजकुमार जोशी पुत्र श्री स्व0 मोतीलाल जोशी उम्र –60 वर्ष
2. अशोक कुमार जोशी पुत्र श्री स्व0 मोतीलाल जोशी उम्र –54 वर्ष
3. लोकेश कुमार जोशी पुत्र श्री अशोक कुमार जोशी
4. कुमारी भावना पुत्री अशोक कुमार जोशी उम्र व्यस्क,
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी शुक्लो का मौहल्ला मनोहरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महादेय, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
6. श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, उप तहसील, मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
7. उपपंजीयक महादेय, पंजीयन कार्यालय उपतहसील मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
8. पटवारी हल्का मनोहरपुर उपतहसील मनोहरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

9. दीपशिखा पुत्री अशोक कुमार जोशी, जाति ब्राह्मण, निवासी शुक्लो का मौहल्ला मनोहरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– तरतीबी प्रतिवादीगण

सत्य–प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला–जयपुर राज.

आशीष

दावा बाबत इस्तकरारहक्क उपयोगिता आवेदारी डिक्री इस्तकरार व बंटवारा आराजी लगान व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा -53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर,

सेवाजी वादीगण की ओर से वाद पत्र की प्रतियों से निम्न प्रकार पेश है :-

1. यहकि हाल आराजी खसरा नम्बर 933/0.50, 934/0.09, 936/0.06, 937/0.08, 938/0.11, 940/0.26, 941/0.13, 943/0.16, 944/0.33, 945/0.03, 946/0.17, 947/0.01, 948/0.39, 949/0.44, 963/0.38, 964/0.24, कुल किता -16 रकबा 3.37 है० लगानी 56.38 पैसे वाकेग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, जो कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0-1 व 2 के नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी चालु सम्वत 2065से 2072संलग्न वाद पत्र पेश है।
2. यहकि वाद पत्र की की खण्ड संख्या में वर्णित आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0-9 की संयुक्त हिन्दू मुश्तरका खानदान की खरीदशुदा पैतृक व पुश्तैनी सम्पति रही है जिसे वादीगण के दादा स्व0 मोतीलाल जोशी ने स्वंय अपने पैसे से उक्त आराजी मुतनाजा को इसके मुल खातेदार काश्तकार हनुमान पुत्र मोती जाति माली, निवासी मनोहरपुर से दिनांक 30.06.1970 को क्रय किया था व जिसकी रजिस्ट्री अपने दोनो पुत्रो जो कि वक्त खरीद प्रतिवादी सं0-1 राजकुमार मात्र 14 वर्ष के था व प्रतिवादी सं0-2 मात्र 8 वर्ष का था जो कि दोनो नाबालिग थे परन्तु वादीगण के दादा स्व0 मोतीलाल जोशी वक्त खरीद आराजी मुतनाजा साबिका नम्बर 641,

643, 644, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662 663, कुल किता -20 रकबा 12 बीधा 1 बीस्वा आराजी का विक्रय पत्र स्वंय सरकारी नौकर होने के कारण दोनो नाबालिग पुत्रो के नाम करवादिया था जबकि उक्त आराजी मुतनाजा का खरीद का समस्त रूपया स्वंय वादीगण के दादा स्व0 मोतीलाल द्वारा ही खर्च किया गया था व खरीद के समय से ही वादीगण का दादा व प्रतिवादी सं0-1 व 2 का पिता संयुक्त रूप से सम्पति मुतनाजा पर काबिज काश्त रहे है। इस प्रकार उक्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादीया सं0-9 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति रही है।

3. यहकि वादीगण के दादा स्व0 मोतीलाल जोशी का देहान्त दिनांक 16-9-12को हो चुका है व वादीगण प्रतिवादी सं0-3 पौत्र है व प्रतिवादीया सं0-4 व तरतीबी प्रतिवादीया सं0-9 उक्त मृतक मोतीलाल जोशी की पौत्री है व प्रतिवादी सं0-1 व 2 उक्त मृतक मोतीलाल जोशी के जायन्दा पुत्र है। जिनमे प्रतिवादी सं0-1 राजकुमार जोशी जो कि राजकीय सेवा से सेवानिवृत है जिसकी जन्म तारीख सर्विस रिकार्ड में 16.08.1956 है व प्रतिवादी सं0-2 अशोक कुमार जोशी की जन्म तारीख 04.11.1962 जो कि सर्विस रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार यह बखुबी स्पष्ट है कि उक्त आराजी मुतनाजा के खरीद के वक्त उक्त दोनो प्रतिवादीगण नाबालिग थे व सम्पति मुतनाजा वादीगण के दादा द्वारा खरीद की गयी है इस प्रकार उक्त आराजी दादालाई सम्पति होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का सम्मलित में कब्जा काश्त चला आ रहा है व हिन्दू मुश्तरफा खानदान के अनुसार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का प्रतिवादीगण के साथ हक व हिस्सा कानूनन बनता है।

FOR COPYING FEES ONLY

सत्य-प्रतिलिपि

प्रतिलिपिकार
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

4. यहकि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादीया का सजरा खानदान निम्न प्रकार है –

मोतीलाल जोशी पुत्र बद्री नारायण जोशी (फौत)

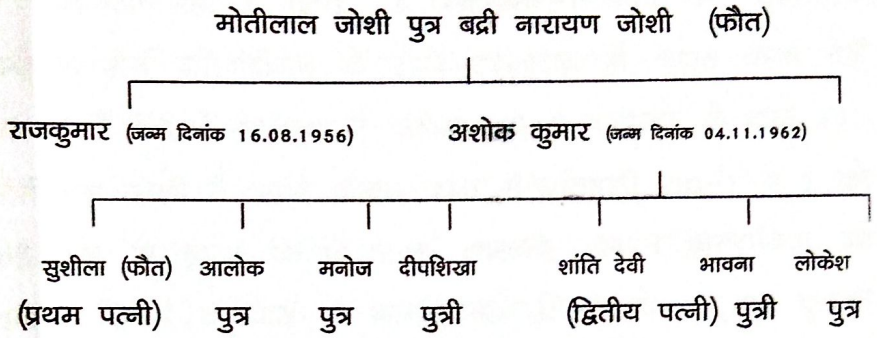

राजकुमार (जन्म दिनांक 16.08.1956) — अशोक कुमार (जन्म दिनांक 04.11.1962)

सुशीला (फौत) (प्रथम पत्नी) — आलोक पुत्र — मनोज पुत्र — दीपशिखा पुत्री — शांति देवी (द्वितीय पत्नी) — भावना पुत्री — लोकेश पुत्र

इस प्रकार सजरा खानदान के अनुसार वादीगण के दादा स्व0 मोतीलाल के दो पुत्र पैदा हुये जिनमे प्रतिवादी सं0–2 की पूर्व पत्नी सुशीला देवी का देहान्त दिनांक 28.02.1994 को हो चुका है इसके बाद वादीगण के दादा स्व0 मोतीलाल जोशी ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी सं0–2 की दुसरी शादी शांति देवी नामक महिला से कर दी। जिसके एक जायन्दा पुत्र प्रतिवादी सं0–3 व प्रतिवादीया सं0–4 पुत्री पैदा हुई व पूर्व पत्नी से वादीगण सं0–1 व 2 व तरतीबी प्रतिवादीया सं0–3 पैदा हुई इस प्रकार मृतक स्व0 मोतीलाल जोशी के वादीगण व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादीया कानूनी एवं विधिक वारिसान है।

5. यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का व तरतीबी प्रतिवादीया का व प्रतिवादीगण सं0–2 लगायत 4 का 1/2 भाग मे से प्रत्येक का 1/12 हिस्सा बनता है व शेष 1/2 भाग पर प्रतिवादी सं0–1 का हक व अधिकार है और उक्त हिस्से के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने पूर्वज मोतीलाल जोशी के जीवनकाल से आराजी मुतनाजा पर सम्मिलित रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त पैतृक सम्पति आराजी मुतनाजा के वादीगण व प्रतिवादीगण कानूनन खातेदार काश्तकार है।

प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
(जिला–जयपुर) राज.

6. यहकि वर्णित वाद पत्र की जिमन नम्बर 1 मेंवर्णित आराजीयात मृतक मोतीलाल जोशी के जीवनकाल से संयुक्त रुप से 'शामिल में चली आ रही है जिस पर बिना किसी बाधा के बतौर हक वादीगण शेष प्रतिवादीगण के साथ सम्मलित में काश्त करते चले आ रहे है जिसके सम्बन्ध में वादीगण ने व वादीगण के दादा स्व0 मोतीलाल जोशी ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी सं0-1 व 2 को कई बार समझाया कि वे उक्त आराजी सम्पति मुतदाविया का राजस्व रिकार्ड वादीगण के नाम उनके हिस्से के अनुसार दुरुस्त करवा देवे व आराजी मुतनाजा का व लगान का कानूनन बंट्वारा करवा देवे परन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते आ रहे थे व अब अर्सा -5 रोज पूर्व आराजी मुतनाजा की खातेदारी वादीगण के नाम कराने से व बंट्वारा कराने से साफ इंकार हो गये क्योंकि वर्तमान में जमीनो के दाम बाड जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के मन मे बदनियति आ गई है व प्रतिवादीगण सं0-2 अपनी दुसरी पत्नी के बहकावे में आकर गैरकानूनी रुप से वादीगण को व तरतीबी प्रतिवादीया के हिस्से व कब्जे काश्त की भुमि को बेईमानी पूर्ण आश्य से प्रतिवादीगण सं0-1 लगातय 4 आपस में साज करके सम्पति मुतनाजा से वादीगण को जबरन बेदखल करना चाहते है व फर्जी कुर्सीनामा तैयार करके प्रतिवादीगण वादीगण की सौतेली मां शांति देवी के बहकावे में आकर उक्त आराजी को किन्ही दीगर भुमाफिया गिरोह के व झगडालू, आपराधिक प्रवृति को बेचान बय स्थानान्तरण करने पर आमादा है व आराजी मुतनाजा को प्रतिवादी सं0-5 लगायत 8 राजस्व कर्मचारीयो से साज करके बिना बंट्वारा कराये व बिना वादीगण के नाम खातेदारी दुरुस्त कराये खुर्द बुर्द करने पर आमदा फिसाद है व वादीगण को उनकी संयुक्त हिन्दू मुश्तरफा खानदान की सम्पति से महरुम रखना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
...क कलक्टर
जिला-जयपुर राज

7. यहकि वाद पत्र के वर्णित खण्ड संख्या 1 पर वादीगण अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है, व उक्त आराजीयात वादीगण की वंशानुगत व परम्परागत पुश्तैनी सम्पति है, तथा वर्तमान मे भी वादीगण अपने हिस्सानुसार काबिज रहकर काश्त कर रही है।

8. यहकि प्रतिवादीगण ने आज से अर्सा 5 रोज पूर्व वादीगण को एलानियां धमकी दी है कि वे फर्जी वारिस प्रमाण पत्र व कुर्सीनामा तो बनवा लिया है, तथा उसके अनुसार नामान्तकरण करवा कर उक्त आराजीयात को अन्य दीगर लटैत व झगडालू व्यक्तियो को बेचान कर देगे व उक्त आराजीयात का रिकार्ड दुरुस्त नहीं करवायेगे व बिना बंटवारा कराये ही उक्त आराजी मुतनाजा को खुर्द बुर्द कर देगे यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त गैर कानूनी व अवैध मन्सूबो मे कामयाब हो गये तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी व वादीगण को अपने हिस्से के भु भाग से महरुम होना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी धन राशि मे किया जाना संभव नहीं होगी व अनावश्यक मुकदमेबाजी को भी बढावा मिलेगा।

9. यहकि वादीगण मृतक स्व0 मोतीलाल जोशी के जायन्दा पौत्र है, तथा आराजी पर वादीगण अपने दादा के समय से ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के साथ सामिल मे अपने हिस्सानुसार काबिज रहकर काश्त करती चले आ रहे है तथा मोतीलाल जोशी के कानूनी विधिक उत्तराधिकारी है व आराजी मुतनाजा वादीगण के दादा स्व0 मोतीलाल द्वारा स्वंय की सम्पति से खरीद की हुयी आराजी है एवं पैतृक दादालाई सम्पति होने के कारण वादी सं0-1 व 2 व प्रतिवादी सं0-2 3, 4 व तरतीबी प्रतिवादीया सं0-9 का उक्त आराजी के कुल रकबे में 1/2 भु भाग मे से प्रत्येक का 1/12 हिस्सा हक व अधिकार कानूनन है इसलिए वादीगण उक्त वाद पत्र के जिमन नं0-1 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं0-2 के हिस्से मे से अपने हिस्सेनुसार खातेदारी धोषणा करवाये जाने व आराजी मुतनाजा का व लगान का कानूनन बंटवारा करवाये जाने व

प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
(जिला-जयपुर)

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये जाने के अधिकारी है।

10. यहकि बिनाय दावा वाद पत्र की खण्ड संख्या 6 लगायत 8 के वर्णितानुसार पैदा होकर दावा हरसूरत मे अन्दर मियाद पेश है।

11. यहकि तरतीबी प्रतिवादीया सं0-9 वर्तमान में बाहर गयी हुई है व प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उसे तरतीबी प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

12. यहकि प्रतिवादी संख्या 5, लगायत 8 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, जो कि लोक सेवक की श्रेणी मे आते है इसलिए प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर दावा दायरी के 2 माह पूर्व नोटिस से छूट प्राप्त कर ली है।

13. यहकि वाद पत्र के अन्य पक्षकारान व आराजी न्यायालय श्रीमान् के क्षैत्राधिकार मे स्थित होने व वाद पत्र को सुनकर इसका निस्तारण करने का न्यायालय श्रीमान् को पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है।

14. यहकि वाद उचित न्यायशुल्क पर पेश है।

15. यहकि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर सादिर फरमायी जावे कि :-

1. यहकि हाल आराजी खसरा नम्बर 933/0.50, 934/0.09, 936/0.06, 937/0.08, 938/0.11, 940/0.26, 941/0.13, 943/0.16, 944/0.33, 945/0.03, 946/0.17, 947/0.01, 948/0.39, 949/0.44, 963/0.38, 964/0.24, कुल किता -16 रकबा 3.37 है0 लगानी 56.38 पैसे वाकैग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है, मे प्रतिवादी सं0-2 के राजस्व रिकार्ड हिस्सा 1/2 भु भाग मे से वादीगण व प्रतिवादी सं0-3, 4 व तरतीबी प्रतिवादीया सं0-9 को 1/12 भु भाग का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे व बाद दुरुस्ती इन्द्राज बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस सरस नरस के हिसाब से

प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
(जिला-जयपुर)

आराजी मुतनाजा का कानूनन बंटवारा करवाया जावे व प्रत्येक खातेदारान का लगान का अलग से निर्धारण करवाया जावे।

2. यहकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 मे वर्णित आराजी पर अपने हिस्सानुसार वादीगण को काबिज रहकर काश्त करने दवे व किसी प्रकार से वादीया के कब्जे काश्त मे मजाहत पैदा नही करे।

3. यहकि अन्य कोई सहायता जो न्यायालय श्रीमान् को उचित समझने बखिलाफ प्रतिवादीगण बहक वादीगण दिलवाया जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

दिनांक :-.....12/7/17..

स्थान -शाहपुरा (जयपुर)

वादीगण

(1) आलोक जोशी पुत्र श्री अशोक कुमार जोशी, (2) मनोज कुमार जोशी पुत्र श्री अशोक कुमार जोशी समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी शुक्लो का मौहल्ला मनोहरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

सत्यापन

मैं उपरोक्त सत्यापनकर्ता सत्यापित करता हूँ, कि वाद पत्र के सम्पूर्ण तथ्य मेरी निजी जानकारी व विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही व सत्य है, जिसे मैने अपने सलाह सलाहकार से तैयार करवाया कर पढ, सुन व समझ लिया है, इस प्रकार कोई तथ्य वाद पत्र में मिथ्या अंकित नहीं है ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक 12/7/17

स्थान -शाहपुरा (जयपुर)

सत्य-प्रतिलिपि

सत्यापनकर्ता